

फार्म संख्या-

निविदा फार्म मूल्य मु0 1180.00 (जी0एस0टी0 सहित)

कार्यालय- हरिद्वार दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, शिकारपुर (हरिद्वार)
निविदा फार्म
(जलौनी लकड़ी आपूर्ति हेतु)

पासपोर्ट साईज की
फोटो स्वयं द्वारा
प्रमाणित की जानी
होगी।

1-निविदादाता/फर्म का नाम

2-पिता का नाम.....

3-पत्र व्यवहार का पता.....

.....

.....

4-मोबाइल न0.....

5-पैन न0/टिन न0.....(छाया प्रति संलग्न करें)

6-जी0एस0टी0 संख्या..... (छाया प्रति संलग्न करें)

7-धरोहर धनराशि जमा रसीद/ड्राफ्ट संख्या.....दिनांक.....(रसीद की छाया प्रति
/ड्राफ्ट की मूल प्रति संलग्न करें)

8-अनुभव प्रमाण पत्र यदि हो तो संलग्न करें

9- जलौनी लकड़ी हेतु दर (एफ0ओ0आर0) :- मु0.....प्रति कुन्टल (जी0एस0टी0 अतिरिक्त)

दिनांक-

निविदादाता के हस्ताक्षर.....

निविदादाता/फर्म का नाम.....

मोबाइल नम्बर.....

कार्यालय— हरिद्वार दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, शिकारपुर (हरिद्वार)

(जलौनी लकड़ी आपूर्ति हेतु

नियम व शर्तें

1. निविदा फार्म के साथ मु० 5,000.00 रूपया की जमानत राशि (ड्राफ्ट/नगद जमा रसीद) संलग्न करनी होगी।
2. जलौनी लकड़ी की दर एफ०ओ०आर० के आधार पर निविदा में देनी होगी।
- 3- जलौनी लकड़ी की माप (Size) 1*1.50 Ft. से अधिक नहीं होनी चाहिये।
4. जलौनी लकड़ी की गुणवत्ता अपेक्षित स्तर/माप की न होने पर कीमत में तदनुसार कटौती कर ली जायेगी अथवा वापस कर दिया जायेगा।
5. निविदा की दर स्वीकृति होने उपरान्त दर एक वर्ष के लिए 100.00 रूपया के स्टाम्प पेपर में अनुबंध करने उपरान्त ही आदेश निर्गत किया जायेगा।
6. जलौनी लकड़ी का प्रति कुन्तल मूल्य एफ०ओ०आर० शिकारपुर (हरिद्वार) होगा।
7. लिफाफे में "जलौनी लकड़ी की आपूर्ति हेतु निविदा" लिखा जाना होगा।
8. सीलबन्द निविदा रजिस्टर्ड डाक/कोरियर/स्वयं के द्वारा दिनांक 20.01.2026 की सांय 2.00 बजे तक कार्यालय प्रधान प्रबन्धक, हरिद्वार दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, शिकारपुर (हरिद्वार) में पहुंच जाने चाहिए। प्राप्त निविदाओं को दिनांक 20.01.2026 की सांय 2.30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष गठित कमेटी द्वारा खोला जायेगा।
9. यह कि यू.सी.डी.एफ. की वेबसाईड www.ucdfaanchal.org से निविदा पत्र डाउन लोड करने पर मु० 1180.00 का बैंक ड्राफ्ट हरिद्वार दुग्ध उत्पादक सहकारी लि० के पक्ष में देय हो या दुग्ध संघ कोषागार में नगद जमा कर रसीद/ड्राफ्ट (मूलरूप में) निविदा के साथ संलग्न करना होगा। अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
10. निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त कार्यादेश प्राप्त करने से पूर्व स्वीकृत निविदादाता को मु० 10,000.00 (दस हजार) की जमानत/धरोहर राशि नगद/एफ.डी.आर./बैंक ड्राफ्ट के रूप में जो "हरिद्वार दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०," के नाम निरूपित हो प्रस्तुत करना होगा। जिसे पूर्व में जमा जमानत राशि के साथ समाहित कर जमानत के रूप में कार्य पूर्ण होने तक बन्धक रखा जाएगा एवं कार्य निर्धारित मानकों व शर्तों के अनुरूप पूर्ण होने के उपरान्त सम्पूर्ण जमानत धनराशि नियमानुसार वापस लौटा दी जाएगी। जमानत राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
11. निविदा स्वीकृत होने उपरान्त यदि निविदादाता द्वारा निविदा की शर्तों के अनुसार निर्धारित अवधि में जलौनी लकड़ी की आपूर्ति प्रारम्भ नहीं की जाएगी, उसकी उक्त जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
12. निविदा स्वीकृति तिथि से एक वर्ष हेतु मान्य होगी। कार्य संतोषजनक होने पर दोनो पक्षों की सहमति के आधार पर निविदा अवधि को एक वर्ष हेतु बढ़ाया भी जा सकता है।
13. निविदा स्वीकार करने या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्रधान प्रबन्धक, हरिद्वार दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, शिकारपुर (हरिद्वार) का होगा।
14. किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में अन्तिम निर्णय निबंधक दुग्ध सहकारी समितियां उत्तराखण्ड हल्द्वानी द्वारा लिया जायेगा, जो दोनों पक्षों को मान्य होगा।

मैंने उक्त नियम व शर्तों का भली-भांति अवलोकन कर लिया है और मैं उपरोक्त से पूर्णतः सहमत हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदादाता का नाम—

पता—

मोबाइल नम्बर—

